कार्यालय पुलिस नियन्त्रण कक्ष आयुक्तालय जोधपुर

प्रेस–नोट
(दिनांक 23.09.2024)
आयुक्तालय जोधपुर

आगामी मेला–त्योहारों व धार्मिक आयोजनों के मध्य नजर श्री राजेंद्र सिंह पुलिस आयुक्त जोधपुर के निर्देशानुसार पुलिस आयुक्तालय जोधपुर में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं यातायात नियमों की पालना हेतु दिनांक 22.09.2024 को वक्त 07.00 पी.एम. से 11.00 पी.एम. तक पुलिस आयुक्तालय जोधपुर क्षेत्र में शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालको के विरूद्ध व राजकोप ऐप पर संदिग्ध व्यक्तियों के फोटो मिलान करना तथा संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही, बिना नम्बरी/मोडिफाई नम्बर प्लेट, काला शीशा लगे वाहन चलाने वालों के विरूद्ध एम.वी. एक्ट की कार्यवाही करने का अभियान चलाया गया।

पुलिस आयुक्तालय जोधपुर क्षेत्र में समस्त वृत सहायक पुलिस आयुक्तगण के नेतृत्व में समस्त पुलिस थानाधिकारीयों को अपने–अपने थाना क्षेत्र में शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालको के विरूद्ध व राजकोप ऐप पर संदिग्ध व्यक्तियों के फोटो मिलान करना तथा संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही, बिना नम्बरी/मोडिफाई नम्बर प्लेट, काला शीशा लगे वाहन चलाने वालों के विरूद्ध एम.वी. एक्ट की कार्यवाही करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

श्री पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशों की पालना में श्री राजर्षि राज वर्मा पुलिस उपायुक्त पश्चिम के सुपर विजन में समस्त वृत अधिकारीयों ने अपने–अपने क्षेत्र के सभी थाना अधिकारी एवं पुलिस बल को इस अभियान के संबंध में ब्रीफ कर अलग–अलग टीमें बनाकर ज्यादा से ज्यादा कार्यवाही करने हेतु रवाना किया गया।

दौराने अभियान जोधपुर आयुक्तालय जिला पूर्व एवं जिला पश्चिम में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही तथा राजकोप ऐप पर संदिग्ध व्यक्तियों के फोटो मिलान करना तथा संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने में समस्त पुलिस थाना आयुक्तालय जोधपुर द्वारा चैकिंग के दौरान जो व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाते पाया गया उसके खिलाफ धारा 185 एम.वी. एक्ट के तहत् कुल 17 चालान, राजकोप ऐप पर कुल 192 संदिग्ध व्यक्तियों का फोटो का मिलान, 84 संदिग्ध व्यक्तियों का पर्चा 'बी' भरा गया, 01 चालान बिना नम्बरी वाहन, 03 चालान मोडिफाई नम्बर प्लेट व 11 चालान काला शीशा लगे वाहनों की एम.वी. एक्ट के तहत् कार्यवाही की गई ।

आमजन से आग्रह है कि आपके आस–पास क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गैरकानूनी, अनैतिक, अवैध शराब/मादक पदार्थ बिक्री व संदिग्ध व्यक्ति आदि की जानकारी होने पर इसकी सूचना तुरंत संबंधित पुलिस थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष 100/112 व वॉट्सअप नं. 9530440800 पर सूचित करे।

प्रभारी
पुलिस नियंत्रण कक्ष,
आयुक्तालय जोधपुर।